प्रेषक,

संख्या– / बीस–4 / 2017–26(रा.मा.आ.) / 2017

आनन्द वर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांकः 20 दिसम्बर, 2017

विषय– कारागार विभाग से सम्बन्धित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में लम्बित प्रकरणों की समीक्षा / पर्यवेक्षण हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली के अ0शा0 पत्र संख्या–NHRC-5/2017/POS/INV, दिनांक 06.11.2017 की छायाप्रति (संलग्नकों सहित) प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कारागार विभाग से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों की समीक्षा / पर्यवेक्षण हेतु आपको नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

2– तत्क्रम में कारागार विभाग के मानवाधिकार सम्बन्धी लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करने के साथ–साथ निर्धारित समयान्तर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करते हुये प्रत्येक 15 दिवस में कारागार विभाग से सम्बन्धित सभी लम्बित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति से शासन को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(आनन्द वर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या–1322 / बीस–4 / 2017–26(रा.मा.आ.) / 2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड।
3. समस्त वरिष्ठ जेल अधीक्षक / जेल अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
4. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय को राज्य बेवसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
5. गार्ड फाईल।

26/12/17

आज्ञा से,

(विम्मी सचदेवा)
अपर सचिव

Scanned by CamScanner